कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ म.प्र.

क्रमांक 26 / सा.अनु. / 2020 झाबुआ, दिनांक 04 मई, 2020

विविध कार्यालयीन आदेश

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू–12 जबलपुर, दिनांक 04.05.2020 के अनुपालन में आज दिनांक 04.05.2020 को न्यायिक जिला झाबुआ में स्थित न्यायालयों एवं बाह्यवर्ती न्यायालय थांदला एवं पेटलावद न्यायालय में न्यायिक कार्य किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

1. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक क्यू–5 जबलपुर, दिनांक 25.03.2020 की कंडिका 4 के पश्चात् कंडिका 5 के पूर्व कंडिका–4.1 एवं कंडिका 4.2 जोड़ते हुए दिनांक 04.05.2020 से न्यायालयों में न्यायिक कार्य आवश्यक स्टाफ के साथ किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं, जिनके पालन में यह आदेशित किया जाता है कि न्यायिक जिला झाबुआ के मुख्यालय स्थित सभी न्यायालयों में तथा बाह्वर्ती स्थान थांदला एवं पेटलावद के न्यायालय में आज दिनांक 04.05.2020 से न्यायालय में सभी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित होकर न्यायिक कार्य करेंगे। न्यायिक कार्य में अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जावेगी तथा अत्यावश्यक मामलों में ऐसे मामले भी सुनवाई के लिए संबंधित न्यायालय द्वारा लिये जावेंगे, जो निराकरण की अंतिम अवस्था में हैं, जो अंतिम सुनवाई के लिए नियत हैं, ऐसे मामले रिमाण्ड्स आवेदन, जमानत आवेदन–पत्र, आपराधिक पुनरीक्षण, सिविल अपील इत्यादि प्रकरण जिनमें केवल अधिवक्तागण के अंतिम तर्क सुनने के उपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा मामले का बिना मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किये निराकरण किया जा सकता हो। पीठासीन अधिकारी द्वारा अंतिम सुनवाई के लिए नियत मामलों में अधिवक्तागण से लिखित में अंतिम तर्क प्रस्तुत कराये जा सकते हैं और वी.सी. के माध्यम से भी अंतिम तर्क सुनकर मामलों का निराकरण किया जा सकेगा।

2. प्रत्येक पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने न्यायालय में एक समय में केवल 1/3 अथवा 1/4 स्टॉफ की संख्या को सीमित करते हुए न्यायिक कार्य किया जावेगा। ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेन्टेन रहे तथा शेष स्टॉफ को आवश्यकतानुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक कार्य के लिए बुलाया जा सकेगा। सभी स्टॉफ के कर्मचारीगण मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे और उन्हें सूचित किये जाने पर वे कार्य के लिए उपस्थित रहेंगे। कोई भी कर्मचारी बिना पीठासीन अधिकारी की अनुमति के अपने घर से बाहर अशासकीय कार्य के लिए नहीं जावेंगे।

3. न्यायालय परिसर में सभी न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं यदि वी.सी. के लिए अधिवक्ता न्यायालय परिसर में उपस्थित होते हैं तो उन्हें मास्क पहनना आवश्यक होगा तथा स्वयं को सेनेटाईज करने के बाद ही उन्हें न्यायालय में एवं वी.सी. रूम में प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जावे। सिस्टम आफिसर्स वी.सी. की लिंक संबंधित अधिवक्ता को यथासम्भव उनके मोबाईल पर भेजने की व्यवस्था करेंगे। अत्यावश्यक मामलों में न्यायालय के वी.सी. कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक समय में केवल एक ही अधिवक्ता को वी.सी. रूम में प्रवेश अंतिम तर्क प्रस्तुत करने के लिए दिया जावेगा तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के संबंध में कोरोना वायरस कोविड–19 के संक्रमण से बचाव रखते हुए माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी किये गये सभी निर्देशों का तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये परिपत्रों एवं निर्देशों का पालन शब्द एवं भाव (in letter & spirit) में किया जावेगा।

संलग्नः–

1. माननीय म.प्र.उच्च न्यायलय जबलपुर द्वारा
पूर्व में जारी परिपत्र क. क्यू–5 जबलपुर, दि. 25.03.2020
2. माननीय म.प्र.उच्च न्यायलय जबलपुर द्वारा
पूर्व में जारी परिपत्र क. क्यू–12 जबलपुर, दि. 04.05.2020

(महेश कुमार शर्मा)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ म.प्र.

पृष्ठां.क्रमांक 27 /सां.अनु./2020 झाबुआ, दिनांक 04.05.2020

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर उक्त सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, झाबुआ की ओर सभी संबंधितों को ई–मेल किये जाने हेतु प्रेषित।
7. जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. अधीक्षक, जिला जेल, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
10. लोक अभियोजक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी,झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
11. संचालक, जन सम्पर्क विभाग, भोपाल की ओर समाचार–पत्रों में प्रकाशनार्थ।
12. समस्त कर्मचारीगण की ओर पालनार्थ।
13. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायालय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

05.05.20

(महेश कुमार शर्मा)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ म.प्र.